तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
15.02.2021	प्रार्थी जरिये अधिवक्ता उप.। तहसीलदार पचपदरा उप.। विप्रार्थी क्र. 1, 3, 4 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण का इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 22.02.2021 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
22.02.2021	प्रार्थी ग्राम पंचायत जरिये अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी क्र. 1 के प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन जवाब पेश करने से इनकार किया गया, हस्ताक्षर करने से मना किया। विप्रार्थी क्र. 1, 3 एवं चार के नोटिस बावजूद तामील प्राप्त [illegible] सूचना अनुपस्थित रहे पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:19:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
विज्ञप्ति दि. 2 राजस्थान राजपत्र में तहसीलदार, पचपदरा एवं उपनिवेशक इस प्रार्थी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को चाही गई इच्छानुसार के अनुसार रेकर्ड दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण के लिए लिखित में सहमति प्रकट की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णय अलग से लिखाया जाकर इसे न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नियम अनुसार हो... [illegible] ...कर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:19:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या: 31/2021

प्रार्थी :–

1. ग्राम पंचायत पाटोदी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी
   पंचायत समिति,पाटोदी

बनाम

विप्रार्थी :–.
1. मैसर्स विवेक फार्मा. इण्डिया लि0 एन.एच. 8 विलेज चिमनपुरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
3. प्राचार्य आई.टी.आई. पाटोदी
4. संस्था प्रधान आदर्श शिक्षण संस्थान पाटोदी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती

'निर्णय'

दिनांक :–22.02.2021

प्रार्थी ग्राम पंचायत पाटोदी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी ने प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 131, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर** संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि सरहद मौजा पाटोदी पटवार हल्का पाटोदी की सीमा में प्रार्थी ग्राम पंचायत पाटोदी के खाते की भूमि मूल खसरा नम्बर 4209/3863 अवस्थित रहा, तदोपरान्त उक्त मूल खसरा सं. 4203/3863 के नये तरमीमी खसरा सं. 4476/3863, 4716/3863, 4717/3863एवं 4632/3863 बने। अन्य शेष खसरान में कोई विवाद नहीं है। तदोपरान्त खसरान की भूमि में से औद्योगिक भवन, विद्यालय भवन, लीज इत्यादि पर दर्ज की गई, किन्तु हल्का पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी के मनमानी तरीके से उपरोक्त भूमियों की मौके पर सुस्थापित कब्जे के विपरित तरमीम कर दी गयी, जिसकी जानकारी प्रार्थी ग्राम पंचायत को नहीं होने दी, मौके पर कब्जे के विपरित तरमीम होने से विवाद की स्थित उत्पन्न हो गयी है तथा जनहित की योजनाओं का फायदा भी जनता को नहीं मिल रहा है, इसके अलावा ग्राम पंचायत की शेष भूमि के उपयोग करने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। उपरोक्त खसरान की वास्तविक स्थिति परिशिष्ट "अ" में दर्शाई अनुसार है। वर्तमान में गलत अशुद्व तरमीम एवं मौके के विपरित की गई है, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के तरमीम को आधार बनाकर प्रार्थी के कब्जे की भूमि के उपयोग एवं उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है। इसके अलावा प्रार्थी ग्राम पंचायत की शेष भूमि को विकास इत्यादि कार्य में उपयोग लेने में परेशानी उत्पन्न हो रही है, जिससे प्रार्थी के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पाटोदी के नये तरमीमी खसरा सं. 4476/3863, 4716/3863, 4717/3863एवं 4632/3863 की बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से की गई गलत एवं अशुद्व तरमीम को हटाकर प्रार्थना पत्र के सलंग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये है, जिसके अनुरूप तरमीम दुरूस्ती करने हेतु आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:19:33 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए जारी किया गया, नोटिस विप्रार्थीगण से बाद तामील होकर प्राप्त हुए, विप्रार्थी संख्या 01 के प्रतिनिधि इस न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन इस प्रकरण में उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर एवं जवाब देने से इन्कार किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 जरिये भूमिधारक तहसीलदार, पचपदरा स्वंय उपस्थित हुए, और प्रार्थी के द्वारा चाही गई इस्तदुआ को मौके की स्थिति अनुसार ही सही होना स्वीकार किया गया साथ ही चाही गई इस्दुआ के अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती शुद्विकरण करने में लिखित में अपनी सहमति प्रकट की गयी। विप्रार्थी संख्या 03 से नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ, तथा विप्रार्थी संख्या 04 से नोटिस लेने से मना किया गया, इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 01 ,03, 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है, इसलिये इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमनें प्रार्थी ग्राम पंचायत जरिये सरपंच एवं तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया कि नक्शे में तरमीम व प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मौके की स्थिति में अन्तर है। प्रार्थी ग्राम पंचायत जरिये सरपंच के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मौके पर उपलब्ध विवाद रहित भूमियों का उपयोग एवं उपभोग केवल गलत एवं अशुद्व तरमीम के कारण ही नहीं कर पा रहा है, इससें ग्राम पंचायत के विकास कार्य प्रभावित होने से आम जनता के लिये विकास कार्य प्रारम्भ नहीं होने से भविष्य में अधिक परेशानी होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। तरमीम दुरूस्ती मजन के जनहित में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की सहमति के आधार पर स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे सरहद मौजा पाटोदी के नये तरमीमी खसरा सं. 4476/3863, 4716/3863, 4717/3863एवं 4632/3863 की लठ्ठा ट्रेस में गलत एवं अशुद्व तरमीम को प्रार्थना–पत्र के सलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट – 'अ' प्रस्तावित नजरी नक्शा में चिन्हित की गई अनुरूप ही तरमीम दुरूस्ती राजस्व रेकर्ड में करवाकर पालना पन्द्रह योम में भिजवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट – 'अ' प्रस्तावित नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।

(नरेश सोनी)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:19:33 IST
Reason: SelfAttested

भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner